न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

<u>निर्णय द्वारा अध्यासित चेतन देवड़ा आई.ए.एस</u>

प्रकरण संख्या **07/2020** अपील (राजस्व)

मैसर्स नम्रता मार्बल प्राइवेट लिमिटेड़, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री शक्तिसिंह त्यागी पिता स्व. श्री रघुनाथ सिंह जी त्यागी निवासी– ग्रीन हाउस, 9/ए, हिरण मगरी, सेक्टर–14, उदयपुर।

—— अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बडगांव, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1933 दिनांक 02.11.2015 नायब तहसीलदार बड़गाव, जिला उदयपुर</u>

उपस्थित : श्री सत्यप्रकाश व्यास, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u>

दिनांकः–06.04.2021

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील तहसीलदार बड़गांव द्वारा पारित नामान्तकरण सं 1933 दिनांक 02.11.2015 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अम्बेरी की आराजी नंबर 1571 मीन रकबा 0.0920 हेक्टेयर व आराजी नंबर 2843/1613 रकबा 0.2080 हैक्टेयर कुल रकबा 0.3000 हैक्टेयर अपीलार्थी को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित कर पंजीकृत लीज डीड का निष्पादन किया गया। दिनांक 30.10.2015 को अपीलार्थी के पीठ पीछे पटवारी हल्का द्वारा एक नामान्तरण क्रमांक 1933 भरा, उक्त नामान्तरण की जांच दिनांक 02.11.2015 को भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की जाना अंकित है। जिसे उसी दिन उप–तहसीलदार बडगांव द्वारा प्रमाणित भी कर दिया गया। उक्त नामांतरकरण से अपीलार्थी बुरी तरह पीड़ित है। उप–तहसीलदार बड़गांव द्वारा निर्णित नामान्तरकरण न्याय, नियम, विधि तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं मौके की स्थिति के सर्वथा विपरीत होकर अपास्त योग्य है। विवादित नामान्तरकरण में जिस प्रकरण संख्या 38/13 का उल्लेख है वह एक अन्य आराजी नंबर 1044/2 मीन रकबा 2 से संबंधित है। यह भूमि मैसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज एण्ड मिनरल्स को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है। दिनांक 30.10.2015 को पटवारी हल्का ने एक नामान्तरण क्रमांक 1933 अपीलार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:56:33 IST
Reason: SelfAttested

पीठ पीछे भरा। उक्त नामान्तरकरण की जांच दिनांक 02.11.2015 को भू–निरीक्षक द्वारा की गई जिसे उप–तहसीलदार बड़गांव द्वारा उसी दिन प्रमाणित कर दिया गया। इस नामान्तरकरण से अपीलार्थी पीड़ित है क्योंकि दर्ज भूमि में उसके अधिकार बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उप–तहसीलदार बड़गांव द्वारा निर्णित नामान्तरकरण न्याय, नियम, विधि तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के विपरीत होकर सर्वथा अपास्त योग्य है। विवादित नामांतरकरण में जिस प्रकरण संख्या 38/13 का उल्लेख है वह प्रकरण एक अन्य आराजी नम्बर 1044/2 मीन रकबा 2 बीघा से संबंधित है जो मैसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज एण्ड मिनरल्स को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। उक्त भूमि का दिनांक 12.10.2015 को आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम दर्ज की गई जिसे अपीलार्थी के वादग्रस्त भूमि पर लागू करके प्रारम्भ से ही शून्य, अवैध और क्षेत्राधिकार विहीन कार्यवाही की गई। वर्तमान में जिला कलक्टर महोदय के प्रकरण संख्या 38/13 में पारित निर्णय 12.10.2015 को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.05.2018 से निरस्त कर दिया गया है एवं जिला कलक्टर महोदय द्वारा भी अन्य भूमि के लिए आदेश दिया गया था जो अपीलीय नामान्तकरण गलत दर्ज कर दिया गया। अतः खोला गया अपीलीय नामान्तरकरण खारिज फरमाते हुए मौजा अम्बेरी की आराजी नंबर 1571 मीन रकबा 0.0920 हैक्टेयर व 4843/1613 रकबा 0.2080 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.3000 हैक्टेयर भूमि अपीलार्थी के नाम पुनः दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर के प्रकरण संख्या 38/13 के आदेश एवं नामान्तरकरण संख्या 1933 खोला जाकर मैसर्स नर्मता मार्बल्स प्रा.लि. उदयपुर के नाम दर्ज भूमि को बिलानाम दर्ज कर दिया गया। नामान्तरकरण संख्या 1933 एक अन्य भूमि नम्रता मार्बल्स प्रा.लि. उदयपुर के नाम की आराजी नंबर 1571 मी. एवं 2843/1613 रकबा 0.3000 हैक्टेयर भूमि जो कि नम्रता मार्बल्स द्वारा प्रकाश इन्डस्ट्रीज से ली गई है। इस भूमि को उक्त आदेश से बिलानाम सरकार दर्ज किया जाकर दिनांक 02.11.2015 को स्वीकृत हुआ। उक्त प्रकरण संख्या 38/13 में दिए गए आदेश में आराजी नंबर 1044/2 मीन रकबा 2 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त कर पूर्व का अंकन किए जाने हेतु निर्णय किया जो कि उक्त 2 बीघा भूमि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक प.12/3/(16)राज./आव./79/2391–97 दिनांक 03.08.2011 से जिसके नवीन आराजी नंबर 2936/1613 रकबा 0.4300 हैक्टेयर होकर नामान्तरण संख्या 1531 दिनांक 21.12.2011 को स्वीकृत होकर प्रकाश इण्डस्ट्रीज एवं मिनरल्स के नाम से बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज हुई। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्राथी ने राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसमें अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा 12.10.2012 को निर्णय कर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को पुनः नए सिरे से

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:56:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित की गई। जिसमें प्रकरण संख्या 38/13 में उक्त रिमाण्ड की पत्रावली को नए सिरे से दिनांक 12.10.2012 को निर्णय कर उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कर पूर्व के अंकन करने का निर्णय किया गया। जबकि उक्त भूमि को वर्ष 2011 के निर्णय से पूर्व में ही बिलानाम कर दिया गया था। परन्तु तत्समय प्रकरण संख्या 38/13 के आदेश से नामान्तरण संख्या 1933 से एक अन्य भूमि नम्रता मार्बल्स के नाम की आराजी नंबर 1571/1 मीन एवं 2843/1613 रकबा 0.3000 हैक्टेयर भूमि जो कि नम्रता मार्बल्स द्वारा प्रकाश इण्डस्ट्रीज से ली गई थी। उक्त भूमि को उक्त आदेश से बिलानाम सरकार कर दिया गया। साबिक आराजी 1044/2 मी. है जो उक्त दोनों भूमि के एक ही होने से सहवन से नम्रता मार्बल्स के आराजी नंबर 1571 मी. एवं आराजी नंबर 2843/1613 रकबा 0.3000 हैक्टेयर को बिलानाम दर्ज कर दिया गया जो कि एक त्रुटि है। जबकि निर्णय मे स्पष्ट है कि 2 बीघा भूमि को बिलानाम सरकार किया जाना है जबकि नम्रता मार्बल्स की आराजी संख्या 1571/1मीन एवं 2843/1613 की भूमि 0.3000 हैक्टेयर है।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुना गया। विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलीय नामान्तरकरण सहवन से त्रुटिवश खोला गया है। न्यायालय का आदेश आराजी नंबर 1044/2 मीन रकबा 2 बीघा के लिए था। जिसके हाल नंबर 2936/1613 रकबा 0.4300 हैक्टेयर था जिसे बिलानाम न्यायालय के आदेश से घोषित करना था, जो पूर्व में ही वर्ष 2011 में बिलानाम दर्ज किया जा चुका है। वर्तमान में जिला कलक्टर महोदय के प्रकरण संख्या 38/13 अपील राजस्व निर्णय दिनांक 12.05.2015 के आदेश को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपने प्रकरण संख्या एलआर/6591/2016/उदयपुर दिनांक 04.05.2018 से निरस्त किया जाकर आवंटन आदेश भी बहाल रखा गया है। परन्तु अपीलीय नामान्तरकरण पूर्णत त्रुटिवश खोला गया है। जिसे निरस्त फरमाया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज भूमि को पूर्ववत अपीलार्थी के नाम पुनः दर्ज की जायें।

अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अपने इकबालिया जवाब के अनुसार अपीलीय नामान्तरकरण सहवन से त्रुटिवश खोला जाना बताया एवं अपील स्वीकार योग्य बताई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलीय नामान्तरकरण न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर के प्रकरण संख्या 38/13 अपील राजस्व में पारित निर्णय 12.10.2015 की अनुपालना में खोला गया है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.10.2015 का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त आदेश मौजा अम्बेरी की साबिक आराजी नंबर 1044/2 मीन रकबा 2 बीघा भूमि के लिए था जिसकी साबिक आराजी नंबर 2936/1613 रकबा 0.4300 हैक्टेयर है। अपीलीय नामान्तरकरण अपीलाण्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:56:33 IST
Reason: SelfAttested

की आराजी नंबर 1571 मी. व आराजी नंबर 4843/1613 आराजी किता 2 रकबा 0.3000 हैक्टेयर का खोला जाकर बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया है।

तहसीलदार बड़गांव द्वारा अपने जवाब मे भी उक्त नामान्तरकरण सहवन से त्रुटिवश खोला जाना बताया गया है। वास्तविकता यह है कि यह भूमि मैसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज अम्बेरी प्रो. प्रकाशवती पत्नी जे.पी. गुप्ता निवासी न्यू फतहपुरा उदयपुर की होकर नामान्तरण संख्या 733 दिनांक 15.02.2005 से औद्योगिक प्रयोजनार्थ लीज पर स्वीकृत होकर इसका अंकन संलग्न जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 में दर्ज है। यही भूमि नामान्तरण संख्या 772 दिनांक 02.02.2006 से पूरक लीज से प्रकाश इण्डस्ट्रीज के बजाय अपीलाण्ट के नाम पर दर्ज हुई है। प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट है कि पूर्व में न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 38/13 निर्णय दिनांक 12.10.2015 से जारी आदेश इस भूमि के लिए नहीं था। यह आदेश साबिक आराजी नंबर 1044/2 मीन के लिए ही था। जिसके हाल नंबर 2936/1613 रकबा 0.4300 हैक्टेयर है।

संलग्न निर्णय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के प्रकरण संख्या एलआर/6591/2016/उदयपुर निर्णय दिनांक 04.05.2018 से न्यायालय के आदेश दिनांक 12.10.2015 को निरस्त किया जाकर आवंटन आदेश बहाल किये जाने के आदेश दिए गए।

हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपीलीय नामान्तरकरण सहवन से गलत दर्ज होना बताया गया है जो उपरोक्त तथ्यों से साबित होता है। रेस्पोडेन्ट ने भी अपने जवाब में इसे स्वीकार किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर मौजा अम्बेरी का नामान्तरकरण संख्या 1933 निर्णय दिनांक 02.11.2015 सहवन से गलत दर्ज हो गया है, जिसे अपास्त करने के आदेश दिये जाते है एवं तहसीलदार बड़गांव को आदेश दिए जाते है कि वह मौजा अम्बेरी की आराजी नंबर 1571 मीन रकबा 0.0920 हैक्टेयर व आराजी नंबर 4843/1613 रकबा 0.2080 हैक्टयर किता 2 रकबा 0.3000 हैक्टेयर पुनः अपीलाण्ट मैसर्स नम्रता मार्बल्स प्रा.लि. उदयपुर लीज 23 रुपये पूर्ववत अपीलार्थी के नाम दर्ज करें।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बड़गांव को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:56:33 IST
Reason: SelfAttested